

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या- 28/2025

बउनवान

लोकेश आयु 26 वर्ष पुत्र श्री रामदयाल जाति धाकड़, निवासी कोटड़ी, तहसील अन्ता जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ज्य तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 31.12.2025

अपीलांट ने जर्ज्य अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 30.01.2025 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम मानपुरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 0.15 है. किस्म बरानी 1, पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 30.01.2025 को निर्णय पारित कर 75/-रूपये शास्ति आरोपित कर तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.2025 निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ज्य सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।


जिला कलेक्टर
बारां (राज०)



16/12/25
उत्प 25


दौराने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत् 2080 रबी में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 53/24 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार पर मनन किया संपूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 449 रकबा 0.15 है0 किस्म बरानी 1 ग्राम कोटड़ी पर सम्वत् 2080 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 53/24 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 1/2024 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।




(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर
बारन (राज०)